संख्या: 21 /2015/4118/12-2-2015-बजट.5/2012

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2015

विषय: रबी 2015-16 में प्रदेश के सूखाग्रस्त 50 जनपदों में कृषकों को विशेष राहत देने के उददेश्य से प्रमाणित बीजों के वितरण पर अतिरिक्त अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0/1059/रबी/2015-16 दिनांक 30 नवम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में वर्तमान वर्ष 2015 में अवर्षण एवं असामयिक वर्षा के कारण फसलों के उत्पादन पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पडा है जिसके कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। प्रदेश में अवर्षण एवं अनियमित वर्षा के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को सूखाग्रस्त जनपद घोषित किया गया है:-

1. बागपत	2.गाजियाबाद	3. हाथरस	4. एटा	5. आगरा
6. मैनपुरी	7. शाहजहॉपुर	8. पीलीभीत	9. रामपुर	10. कानपुर नगर
11.कानपुर देहात	12.कन्नौज	13.फर्रूखाबाद	14.औरैया	15. इटावा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16.इलाहाबाद	17. फतेहपुर	18.प्रतापगढ	19.कौशाम्बी	20. झांसी
21.ललितपुर	22. जालौन	23. चित्रकूट	24. हमीरपुर	25. बांदा
26. महोबा	27. चन्दौली	28. जौनपुर	29.मिर्जापुर	30. सोनभद्र
31.सन्तरविदास नगर	32. गोरखपुर	33.महराजगंज	34.देवरिया	35.कुशीनगर
36.बस्ती	37.सिद्धार्थन गर	38.संतकबीर नगर	39.मऊ	40.बलिया
41.लखनऊ	42. उन्नाव	43. रायबरेली	44.फैजाबाद	45.अम्बेडकरनगर
46.सुल्तानपुर	47. बाराबंकी	48. अमेठी	49. गोण्डा	50.बलरामपुर

2. उल्लेख्य है कि प्रदेश में खरीफ की तुलना में रबी का आच्छादन ज्यादा होता है जिसमें मुख्य रूप से गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों एवं जौ की खेती की जाती है। बीजों के प्रबंधन में प्रमाणित बीजों के प्रयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लक्ष्य के अनुसार उत्पादकता की प्राप्ति हो सके। इस वर्ष प्रदेश में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषकों के सामने कठिन परिस्थितियॉ उत्पन्न हुई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के उत्थान हेतु वर्ष 2015-16 को 'कृषक वर्ष' घोषित किया गया है। अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के उक्त 50 सूखाग्रस्त जनपदों के कृषकों को विशेष राहत देने हेतु वर्ष 2015-16 में गेहूँ, दलहनी तथा तिलहनी फसलों के आच्छादन में वृद्धि हेतु इनके बीजों पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी 50 प्रतिशत की अनुदान की सीमा को शिथिल करते हुए राज्य सेक्टर से निम्नवत अतिरिक्त अनुदान की धनराशि देने का निर्णय लिया गया है:-

<u>गेहूँ:</u>

प्रदेश के सूखाग्रस्त 50 जनपदों में दिये जा रहे अनुमन्य अनुदान (केन्द्र द्वारा रू0 1000/प्रति कुंतल तथा राज्य द्वारा रू0 400/कुंतल) के अतिरिक्त रूपये 600/- प्रति कुंतल का अनुदान प्रमाणित बीज के प्रमोशनल श्रेणी के प्रजातियों पर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दलहन:

प्रदेश के सूखाग्रस्त 50 जनपदों में चना, मटर एवं मसूर की समस्त प्रमोशनल प्रजातियों पर भारत सरकार से देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य सेक्टर से अनुमन्य अनुदान रूपये 800/- प्रति कुंतल के अतिरिक्त रूपये 1700/- प्रति कुंतल की दर से दिया जायेगा।

तिलहन:

रबी की तिलहनी फसलों राई/सरसों, तोरिया एवं अलसी के प्रमोशनल बीजों पर भारत सरकार से देय अनुदान के अतिरिक्त राई/सरसों, तोरिया एवं अलसी की समस्त प्रजातियों पर राज्य सेक्टर से रूपये 1200/- प्रति कुंतल की दर से सूखाग्रस्त जनपदों में अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सूखे की स्थिति के कारण उक्त घोषित 50 सूखाग्रस्त जनपदों में रबी 2015-16 में डी0बी0टी0 प्रक्रिया से जिन कृषकों ने रबी 2015-16 में पूर्व में बीज प्राप्त किया है उन्हे भी अतिरिक्त अनुदान का लाभ दिया जायेगा। चूंकि डी0बी0टी0 की व्यवस्था के कारण सभी कृषकों के रिकार्ड उपलब्ध हैं अत: अनुमन्य अतिरिक्त अनुदान की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों के खाते में प्रेषित की जायेगी।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अतिरिक्त अनुदान की धनराशि कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में अतिरिक्त किश्त के रूप में स्थानान्तरित की जायेगी और इसका लेखा-जोखा पृथक से रखा जायेगा।

5. उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर से केवल सूखाग्रस्त जनपदों में प्रमाणित बीजों के वितरण पर अतिरिक्त कुल धनराशि रूपये 59.22 करोड का व्यय बचतों/पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. उक्त अतिरिक्त अनुदान मात्र सूखाग्रस्त 50 जनपदों के कृषकों को घोषित सूखाग्रस्त अवधि तक के लिए ही अनुमन्य की जायेगी। साथ ही साथ लाभार्थी कृषकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

कृपया उक्त निर्णय का प्रभावी कार्यान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 21/2015/4118(1)/12-2-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग/वित्त विभाग/ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/पी0सी0एफ0/ यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0/इफको/कृभको, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त परियोजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/गोपन अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।